भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 5172

उत्तर देने की तारीख: 24.03.2026

दिव्यांगजनों के लिए योजनाओं का कम उपयोग

5172. **श्री के. राधाकृष्णन:**
श्री बैन्नी बेहनन:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई राज्यों में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग और दिव्यांगजनों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का उपयोग पर्याप्त रूप से नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो, विगत तीन वर्षों के दौरान केरल सहित राज्य-वार उक्त योजनाओं के अंतर्गत आवंटित और वास्तव में उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) निधि के कम उपयोग के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या शिक्षा की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए, सरकार का अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(च) क्या छात्रवृत्ति के वितरण में विलंब से संबंधित कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) से (ग): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से अनुसूचित जातियों (एससी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और दिव्यांगजनों के लिए कार्यान्वित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा **संलग्नक-I** में दिया गया है।

पिछले 3 वर्षों के दौरान इन योजनाओं के तहत आवंटित और उपयोग की गई निधियों का विवरण **संलग्नक-II** में दिया गया है और पिछले 3 वर्षों के दौरान इन योजनाओं के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी की गई निधियों का विवरण **संलग्नक-III** में है।

राज्य और संघ राज्य क्षेत्र विभागों को अपने प्रस्ताव भेजते हैं और योजना के दिशानिर्देशों के पात्रता मानदंडों के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रस्तावों के पूरे होने के अध्यधीन और अनुमोदित बजटीय परिव्यय के अनुसार विभिन्न योजनाओं के तहत निधियां स्वीकृत और संवितरित की जाती हैं। मंजूरी और संवितरण में देरी मुख्य रूप से योजना को अंतिम रूप देने में देरी, उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने, लंबित एसएनए शेष, अपूर्ण प्रस्ताव, प्रक्रियात्मक देरी और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तावों को देर से प्रस्तुत करने के कारण हो सकती है।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की योजनाएं केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं; इसलिए, उनके अंतर्गत राज्य-वार कोई आबंटन नहीं किया जाता है। दिव्यांगजनों को राहत देना राज्य का विषय है। तथापि, केन्द्र सरकार अपनी प्रमुख पहलों और योजनाओं के माध्यम से कल्याण, कौशल विकास और समावेशी, सुलभ भारत के प्रयासों का समर्थन करती है।

विभाग प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर समीक्षा, क्षमता निर्माण, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग और जागरूकता उपाय करते हैं। छात्रवृत्ति के केंद्रीय हिस्से को जारी करना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपना हिस्सा जारी करने और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर डेटा अपलोड करने पर निर्भर करता है।

विभाग नियमित रूप से राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ योजनाओं की समीक्षा करता है और निधि के उपयोग में सुधार करने के लिए अतिरिक्त हैंड होल्डिंग सहायता प्रदान करता है। अधिकारियों की क्षमता निर्माण और विभिन्न स्तरों पर कार्यान्वयन की निगरानी करने के प्रयास किए जाते हैं। छात्रवृत्ति योजनाओं को बेहतर ट्रैकिंग के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर शामिल किया गया है और भागीदारी बढ़ाने के लिए जागरूकता गतिविधियां चलाई जाती हैं। निधियां सुचारू रूप से जारी करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय पर उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने और लंबित शेष राशि का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

(घ) और (ङ): अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (पीएमएस) की समीक्षा अन्य मंत्रालयों और विभागों सहित संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श से निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर की जा रही है। पिछले 3 वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति के लिए पीएमएस के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लाभार्थियों का विवरण **संलग्नक-IV** में है।

(च): अनुसूचित जातियों के लिए केन्द्र प्रायोजित प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत संवितरण का केन्द्रीय हिस्सा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा भुगतान संबंधी आंकड़े साझा करने पर निर्भर करता है। पीएम-यशस्वी योजना के तहत केन्द्र प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत निधियां योजनाओं के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत उपयोग प्रमाण-पत्र (यूसी) प्राप्त करने/एकल नोडल एजेंसी (एसएनए)

शेष मानदंड को पूरा करने सहित उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रस्तावों की जांच के बाद जारी की जाती हैं। विभाग स्तर पर सीपीग्राम नामक एक उचित शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है ताकि आवेदक, आईएनओ, डीएनओ और एसएनओ अपनी समस्याओं को दर्ज कर सकें। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल टीम के पास आवेदकों की समस्याओं और शिकायतों का निपटान करने के लिए एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन की सुविधा भी है। विभाग राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों को हैंड होल्डिंग सहायता प्रदान करते हैं ताकि तकनीकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जा सके।

संलग्नक-I

"दिव्यांगजनों के लिए योजनाओं का कम उपयोग" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5172, जिसका उत्तर दिनांक 24.03.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ग) में संदर्भित संलग्नक

अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए

कार्यान्वयन करने वाला मंत्रालय/विभाग	योजना का नाम
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	1. अनुसूचित जाति और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
	2. भारत में अध्ययन के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (पीएमएस-एससी)
	3. प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय)

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए

कार्यान्वयन करने वाला मंत्रालय/विभाग	योजना का नाम
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	1. ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति
	2. ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति
	3. ओबीसी बालकों और बालिकाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण

दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए

कार्यान्वयन करने वाला मंत्रालय/विभाग	योजना का नाम
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	1. सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडीआईपी)
	2. दीन दयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)
	3. दिव्यांगजन अधिकार कार्यान्वयन अधिनियम 2016 के लिए योजना (एसआईपीडीए)
	4. दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति।

संलग्नक-II

"दिव्यांगजनों के लिए योजनाओं का कम उपयोग" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5172, जिसका उत्तर दिनांक 24.03.2026 को दिया जाना है, के भआग (क) से (ग) में संदर्भित संलग्नक

पिछले 3 वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से लागू की जा रही अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और दिव्यांगजनों की योजनाओं के तहत आवंटित और उपयोग की गई निधियों का विवरण:

अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए कल्याणकारी योजनाएं

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	वित्त वर्ष 2022-23		वित्त वर्ष 2023-24		वित्त वर्ष 2024-25	
		बजट अनुमान	जारी की गई निधियां	बजट अनुमान	जारी की गई निधियां	बजट अनुमान	जारी की गई निधियां
1.	अनुसूचित जाति और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	500.00	208.62	500.00	446.64	500.00	461.35
2.	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	5660.00	4392.50	6359.14	5475.42	6359.98	5581.52
3.	प्रधानमंत्री अनुसुचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय)	1950.00	163.14	2050.00	465.65	2140.00	729.49
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	478.00	361.38	281.00	195.63	210.00	158.49
5.	ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति	1083.00	1007.99	1087.00	988.45	921.00	895.47
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग के बालकों और बालिकाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण	20.00	18.80	30.00	14.42	40.00	31.84
7.	सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता (एडीआईपी)	235.00	242.29	245.00	290.60	315.00	348.81
8.	दीन दयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)	125.00	114.69	130.00	129.98	165.00	139.39
9.	दिव्यांगजन अधिकार कार्यान्वयन अधिनियम 2016 के लिए योजना (एसआईपीडीए)	240.39	65.59	150.00	76.79	135.33	89.71
10.	दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति	105.00	142.00	155.00	130.07	142.68	44.16

संलग्नक-III

"दिव्यांगजनों के लिए योजनाओं का कम उपयोग" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5172, जिसका उत्तर दिनांक 24.03.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ग) में संदर्भित संलग्नक

पिछले 3 वर्षों के दौरान केरल राज्य सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के माध्यम से लागू की जा रही अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और दिव्यांगजनों की योजनाओं के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी की गई निधियों का विवरण:

अनुसूचित जाति और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी की गई निधियों का विवरण

(रुपये लाख में)

		वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी किया गया केंद्रीय हिस्सा	जारी किया गया केंद्रीय हिस्सा	जारी किया गया केंद्रीय हिस्सा
1	आंध्र प्रदेश	-	5,614	3
2	असम	-	-	70
3	बिहार	1426.9716	1,576	335
4	चंडीगढ़	45.64	38	31
5	छत्तीसगढ़	-	888	504
6	दमन और दीव	0.49	-	-
7	दिल्ली	10.518	16	19
8	गोवा	0.126	-	-
9	गुजरात	1643.2161	5,759	4282
10	हरियाणा	-	-	
11	हिमाचल प्रदेश	-	770	285
12	जम्मू-कश्मीर	-	54	82
13	झारखंड	-	-	1430
14	कर्नाटक	4202.499	4,921	5831

15	केरल	891.0048	256	1821
16	मध्य प्रदेश	-	-	8100
17	महाराष्ट्र	-	-	11
18	मेघालय	-	-	0.03
19	मणिपुर	-	26	30
20	ओडिशा	645.708	708	1820
21	पुडुचेरी	-	15	14
22	पंजाब	1950.438	2,165	878
23	राजस्थान	-	2,823	866
24	सिक्किम	-	-	0.12
25	तमिलनाडु	2212.224	7,056	10945
26	तेलंगाना	-	-	-
27	त्रिपुरा	129.528	67	193
28	उत्तर प्रदेश	6010.7103	7,966	6280
29	उत्तराखंड	-	312	312
30	पश्चिम बंगाल	1624.056	3,636	1948
	कुल	**20793.13**	**44665**	**46092**

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी की गई निधियों का विवरण

(रुपये लाख में)

		वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी किया गया केंद्रीय हिस्सा	जारी किया गया केंद्रीय हिस्सा	जारी किया गया केंद्रीय हिस्सा
1	आंध्र प्रदेश	37259.00	20049.99	60570.74
2	असम	920.00	1390.34	873.79
3	बिहार	3754.00	2129.34	2396.99
4	चंडीगढ़	242.00	59.25	269.82
5	छत्तीसगढ़	4501.00	3613.57	3995.79
6	दमन और दीव	20.00	-	-
7	दिल्ली	1367.00	997.34	2219.08
8	गोवा	0.31	4.31	8.12
9	गुजरात	22026.00	38423.12	39993.13
10	हरियाणा	13158.00	12058.49	9489.27
11	हिमाचल प्रदेश	1760.00	2240.61	3563.90
12	जम्मू-कश्मीर	543.00	468.21	409.04
13	झारखंड	1818.00	3139.39	4503.80
14	कर्नाटक	34200.00	42108.48	42289.53
15	केरल	5682.00	11917.31	16069.98
16	मध्य प्रदेश	33505.00	36680.48	48673.64
17	महाराष्ट्र	35942.00	165298.17	92991.51
18	मणिपुर	734.00	193.94	676.03
19	मेघालय	-	-	10.13
20	ओडिशा	33833.00	12744.10	18151.44
21	पुडुचेरी	361.00	285.47	319.89
22	पंजाब	6281.00	28486.98	41041.53
23	राजस्थान	24138.00	14713.18	18058.53
24	सिक्किम	76.00	52.29	43.87
25	तमिलनाडु	72625.00	71369.94	103209.26
26	तेलंगाना	-	-	-
27	त्रिपुरा	3892.00	4093.43	5161.10
28	उत्तर प्रदेश	92600.00	67483.28	36602.08
29	उत्तराखंड	1259.00	1293.69	1968.87
30	पश्चिम बंगाल	6336.00	6248.09	2662.90
	कुल	**438832.00**	**547542.00**	**556223.74**

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) योजना के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी की गई निधियों का विवरण:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई निधि (रुपये करोड़ में)		
		वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25
1	आंध्र प्रदेश	-	8.79	40.07
2	असम	0.05	15.90	25.31
3	बिहार	56.535	-	8.72
4	छत्तीसगढ़	-	-	-
5	गुजरात	-	-	-
6	हरियाणा	-	-	7.19
7	हिमाचल प्रदेश	-	-	2.02
8	जम्मू-कश्मीर	-	5.13	8.58
9	झारखंड	-	-	-
10	कर्नाटक	23.7749	4.5	24.24
11	केरल	1.3507	3.86	2.27
12	मध्य प्रदेश	-	3.75	18.86
13	महाराष्ट्र	28.6107	2.16	27.24
14	मणिपुर	7	0.032	5.33
15	मेघालय	-	-	-
16	मिजोरम	-	-	3.93
17	नागालैंड	1.8	21	-
18	ओडिशा	1.49	48.34	46.85
19	पंजाब	41.2603	-	45.87
20	राजस्थान	-	7.5	-
21	सिक्किम	0.1645	3.72	1.91
22	तमिलनाडु	-	280.80	321.87
23	तेलंगाना	-	13.99	4.92
24	त्रिपुरा	1.1048	4.73	5.09
25	उत्तर प्रदेश	-	3.07	65.76
26	उत्तराखंड	-	4.89	4.84
27	पश्चिम बंगाल	-	33.21	58.29
28	चंडीगढ़	-	0.2	0.24
29	दिल्ली	-	-	-
30	पुडुचेरी	-	-	-
	कुल	**163.14**	**465.65**	**729.49**

ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी निधियां का विवरण

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2022-23	2023-24	2024-25
		जारी की गई निधियां	जारी की गई निधियां	जारी की गई निधियां
1	आंध्र प्रदेश	1237.00	2500.00	-
2	बिहार	1094.50	-	-
3	छत्तीसगढ़	-	-	-
4	गोवा	73.75	4.80	7.68
5	गुजरात	9164.82	2394.00	2798.60
6	हरियाणा	-	-	-
7	हिमाचल प्रदेश	480.24	403.20	-
8	जम्मू-कश्मीर	-	-	-
9	झारखंड	480.00	735.00	1261.38
10	कर्नाटक	-	3714.60	2771.18
11	केरल	336.51	1917.60	1782.95
12	मध्य प्रदेश	-	-	-
13	महाराष्ट्र	2963.89	-	555.74
14	ओडिशा	754.61	479.83	484.00
15	पंजाब	938.42	969.25	48.36
16	राजस्थान	3352.39	-	-
17	तमिलनाडु	4419.82	4046.52	2363.00
18	तेलंगाना	-	-	617.00
19	उत्तर प्रदेश	5742.00	2040.00	2210.00
20	उत्तराखंड	147.00	-	72.00
21	पश्चिम बंगाल	2708.87	-	649.11
22	असम	1758.50	-	-
23	मणिपुर	152.00	126.61	35.84
24	सिक्किम	2.56	1.41	3.24
25	त्रिपुरा	271.83	163.00	-
26	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	10.98	-	-
27	चंडीगढ़	30.50	-	-
28	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	14.00	-	38.64
29	दिल्ली	-	-	-
30	पुडुचेरी	3.71	50.00	150.00

ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी निधियों का विवरण

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2022-23	2023-24	2024-25
		जारी की गई निधि	जारी की गई निधि	जारी की गई निधि
1	आंध्र प्रदेश	6324.25	13378.00	-
2	बिहार	-	-	9425.00
3	छत्तीसगढ़	-	-	-
4	गोवा	172.06	27.31	130.00
5	गुजरात	11048.25	12748.16	5282.00
6	हरियाणा	1842.65	1042.82	-
7	हिमाचल प्रदेश	1057.15	1100.71	112.00
8	जम्मू -कश्मीर	-	-	328.00
9	झारखंड	-	7731.00	3356.00
10	कर्नाटक	4506.64	15392.12	7372.00
11	केरल	3600.00	-	2554.00
12	मध्य प्रदेश	12519.48	-	10487.00
13	महाराष्ट्र	6921.12	-	-
14	ओडिशा	3340.80	2506.08	2147.00
15	पंजाब	-	-	755.00
16	राजस्थान	2757.95	-	7049.00
17	तमिलनाडु	8297.13	13500.00	11937.00
18	तेलंगाना	-	2318.13	-
19	उत्तर प्रदेश	21000.00	21000.00	16037.00
20	उत्तराखंड	1499.28	2281.48	401.00
21	पश्चिम बंगाल	9782.85	-	1726.00
22	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	-
23	दादरा और नगर हवली, दमन और दीव	94.55	65.70	59.00
24	चंडीगढ़	81.43	-	-
25	दिल्ली	270.00	98.77	148.00
26	पुडुचेरी	106.50	170.32	-
27	असम	-	-	6411.00
28	मणिपुर	1044.73	1572.00	2610.00
29	सिक्किम	930.23	-	376.00
30	त्रिपुरा	3364.23	3872.56	498.00

अन्य पिछड़ा वर्ग के बालकों और बालिकाओं के लिए छात्रावासों के निर्माण की योजना के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी की गई निधियों का विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2022-23	2023-24	2024-25
		जारी की गई निधि	जारी की गई निधि	जारी की गई निधि
1	आंध्र प्रदेश	-	-	-
2	बिहार	-	-	-
3	छत्तीसगढ़	-	-	-
4	गोवा	-	-	-
5	गुजरात	-	-	-
6	हरियाणा	-	-	-
7	हिमाचल प्रदेश	-	-	-
8	जम्मू-कश्मीर	-	-	-
9	झारखंड	-	-	-
10	कर्नाटक	-	-	303.75
11	केरल	-	-	-
12	मध्य प्रदेश	75.35	-	-
13	महाराष्ट्र	-	-	-
14	ओडिशा	356.54	-	-
15	पंजाब	-	-	-
16	राजस्थान	-	-	-
17	तमिलनाडु	-	525.00	129.50
18	तेलंगाना	-	-	-
19	उत्तर प्रदेश	-	-	9.36
20	उत्तराखंड	-	-	-
21	पश्चिम बंगाल	-	-	-
22	अंडमान और निकोबार	-	-	-
23	दादरा और नगर हवली तथा दमन और दीव	-	-	-
24	चंडीगढ़	-	-	-
25	दिल्ली	-	-	-
26	पुडुचेरी	-	-	-
27	असम	-	-	-
28	मणिपुर	567.00	25.00	198.50
29	सिक्किम	-	50.00	233.50
30	त्रिपुरा	-	-	157.50
31	केंद्रीय विश्वविद्यालय	881.10	830.7	2150.00

"दिव्यांगजनों के लिए योजनाओं का कम उपयोग" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5172, जिसका उत्तर दिनांक 24.03.2026 को दिया जाना है, के भआग (घ) से (ङ) में संदर्भित संलग्नक

अनुसूचित जाति और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

(लाख रुपये में)

		वित्तीय वर्ष 2022-23		वित्त वर्ष 2023-24		वित्तीय वर्ष 2024-25	
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी किया गया केंद्रीय हिस्सा	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया केंद्रीय हिस्सा	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया केंद्रीय हिस्सा	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	-	-	5,614	2,21,219	3	116
2	असम	-	-	-	14	70	2233
3	बिहार	1426.9716	132127	1,576	1,46,660	335	31087
4	चंडीगढ़	45.64	1304	38	1,097	31	874
5	छत्तीसगढ़	-	-	888	41,271	504	21123
6	दमन और दीव	0.49	14	-	8	-	11
7	दिल्ली	10.518	501	16	761	19	903
8	गोवा	0.126	6	-	-	-	8
9	गुजरात	1643.2161	77116	5,759	2,73,157	4282	201106
10	हरियाणा	-	-	-	-	-	-
11	हिमाचल प्रदेश	-	-	770	24,536	285	9052
12	जम्मू-कश्मीर	-	-	54	2,584	82	3923
13	झारखंड	-	-	-	-	1430	68230
14	कर्नाटक	4202.499	200119	4,921	2,35,562	5831	278285
15	केरल	891.0048	42003	256	11,999	1821	85996

16	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	8100	368813
17	महाराष्ट्र	-	-	-	-	11	535
18	मेघालय	-	-	-	-	0.03	1
19	मणिपुर	-	-	26	676	30	731
20	ओडिशा	645.708	29047	708	31,486	1820	80835
21	पुडुचेरी	-	-	15	704	14	674
22	पंजाब	1950.438	92604	2,165	1,03,357	878	41793
23	राजस्थान	-	-	2,823	1,35,092	866	41298
24	सिक्किम	-	-	-	8	0.12	4
25	तमिलनाडु	2212.224	104324	7,056	3,35,642	10945	521124
26	तेलंगाना	-	-	-	-	-	-
27	त्रिपुरा	129.528	4075	67	2,105	193	6096
28	उत्तर प्रदेश	6010.7103	373692	7,966	3,82,766	6280	299751
29	उत्तराखंड	-	-	312	9,940	312	9916
30	पश्चिम बंगाल	1624.056	77336	3,636	1,68,896	1948	91465
	कुल	**20793.13**	**1134268**	**44665**	**529556**	**46092**	**2165983**

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

(लाख रुपये में)

		वित्त वर्ष 2022-23		वित्त वर्ष 2023-24		वित्त वर्ष 2024-25	
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी किया गया केंद्रीय हिस्सा	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया केंद्रीय हिस्सा	लाभार्थियों की संख्या	जारी किया गया केंद्रीय हिस्सा	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	37259.00	238915	20049.99	195269	60570.74	303298
2	असम	920.00	11140	1390.34	8426	873.79	12073
3	बिहार	3754.00	136340	2129.34	68975	2396.99	73615
4	चंडीगढ़	242.00	876	59.25	287	269.82	1253
5	छत्तीसगढ़	4501.00	96267	3613.57	79237	3995.79	87675
6	दमन और दीव	20.00	98	-	-	-	-
7	दिल्ली	1367.00	7531	997.34	3,160	2219.08	4692
8	गोवा	0.31	1	4.31	34	8.12	58
9	गुजरात	22026.00	113531	38423.12	179116	39993.13	157584
10	हरियाणा	13158.00	87913	12058.49	70464	9489.27	55444
11	हिमाचल प्रदेश	1760.00	21502	2240.61	23959	3563.90	33149
12	जम्मू-कश्मीर	543.00	10097	468.21	7370	409.04	6567
13	झारखंड	1818.00	33922	3139.39	44610	4503.80	57784
14	कर्नाटक	34200.00	458548	42108.48	403965	42289.53	404008
15	केरल	5682.00	42521	11917.31	155319	16069.98	147531
16	मध्य प्रदेश	33505.00	445319	36680.48	346289	48673.64	636303
17	महाराष्ट्र	35942.00	148573	165298.17	749317	92991.51	362808
18	मणिपुर	734.00	8988	193.94	2125	676.03	7938
19	मेघालय	-	-	-	-	10.13	25
20	ओडिशा	33833.00	299369	12744.10	143861	18151.44	191873
21	पुडुचेरी	361.00	3904	285.47	2564	319.89	2694
22	पंजाब	6281.00	40708	28486.98	199508	41041.53	294284
23	राजस्थान	24138.00	303252	14713.18	151922	18058.53	229002
24	सिक्किम	76.00	448	52.29	216	43.87	172
25	तमिलनाडु	72625.00	543772	71369.94	643761	103209.26	934793
26	तेलंगाना	-	-	-	-	-	-
27	त्रिपुरा	3892.00	22278	4093.43	16858	5161.10	19849
28	उत्तर प्रदेश	92600.00	1269634	67483.28	949934	36602.08	644827
29	उत्तराखंड	1259.00	27735	1293.69	23804	1968.87	26216
30	पश्चिम बंगाल	6336.00	273953	6248.09	268228	2662.90	108693
	कुल	**438832.00**	**4647135**	**547542.00**	**4738578**	**556223.74**	**4804208**
